

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

वडा पक्ष भागारथ राम आर.ए.एस.

वादी
1. रणजीतकुमार पुत्र चौपा जाति राजपूत
निवासी सवली तहसील शिवगंज

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अर्जुनसिंह पुत्र वीरसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र देशुसिंह
4. उषाकुवर पुत्री देशुसिंह
5. चन्द्रा पुत्री देशुसिंह
6. कुणालसिंह पुत्र जगदीश
7. पार्वतीकंवर पत्नि जगदीश
8. भूरसिंह पुत्र रणजीत कुमार
9. जालमसिंह पुत्र भीमा
10. मोहब्बतसिंह पुत्र भीमा जातियान राजपूत
निवासीगण सवली तह.शिवगंज।
11. सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

वाद संख्या 23/2020

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

दिनांक 18.10.2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 केम्प कोर्ट नारादरा मे पत्रावली पेश हुई वाद पक्षकारान उपस्थित। वाद के उपस्थित पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा किया जाना जाहिर किया गया तथा अन्य पक्षकारो की और से कोई आपत्ति/एँतराज पेश नही किया गया जिसके आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना पक्षकारो की उपस्थिति व सहमति के अनुसार भूमि मौजा सवली पटवार हल्का नारादरा तहसील शिवगंज जमाबन्दी सवत् 2071-74 के खाता संख्या 270 खसरा नम्बर खसरा नम्बर 347, 348, 349, किता तीन कुल रकबा 35-12 बीघा भूमि का विभाजन कर बंटवाड प्रस्ताव मय मौका नजरी नक्शा तैयार पेश किया गया।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानो तथा उपस्थित वाद पक्षकारो की सहमति के आधार पर भूमि का बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा मे प्रदर्शित हिस्सा अनुसार बराबर होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा को इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनांक 18.10.2021 को निर्णय खुले न्यायालय कोर्ट केम्प नारादरा मे सुनाया गया।

प्रतिलिपि पालनार्थ:- तहसीलदार शिवगंज।

(भागारथ राम)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज कोर्ट केम्प ओडा

